भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 995
05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) का कार्यान्वयन

995. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार दवा कंपनियों को उत्तम विनिर्माण पद्धति (जीएमपी) लागू करने के लिए प्रयोज्य समय-सीमा में छूट देने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कई दवा कंपनियां अभी तक जीएमपी लागू नहीं कर पाई हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): केंद्र सरकार ने दिनांक 28.12.2023 को सा०का०नि० 922(अ) के माध्यम से औषधि नियम, 1945 में संशोधन किया है, ताकि औषधियों के लिए बेहतर विनिर्माण पद्धतियों, परिसरों, संयंत्रों एवं उपकरणों की आवश्यकताओं से संबंधित उक्त नियमों की अनुसूची 'ड' को संशोधित किया जा सके। संशोधित अनुसूची 'ड' दिनांक 29.06.2024 से उन औषधि विनिर्माताओं, जिनका वार्षिक कारोबार ₹250 करोड़ से अधिक है, के लिए प्रभावी हो गई है। तथापि, जिन विनिर्माताओं का वार्षिक कारोबार ₹250 करोड़ से कम है और जिन्होंने अपनी उन्नयन योजना प्रस्तुत की है, उनके लिए दिनांक 31.12.2025 तक सशर्त विस्तार दिया गया है।

******